

**मांग संख्या 03  
मुख्य शीर्ष 2055**

**मद क्रमांक 1**

नक्सली उन्मूलन हेतु पारितोषिक मद में ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित वायरलेस स्टेशनों के स्पेक्ट्रम चार्जेज भुगतान पर ₹ 4600.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4055**

**मद क्रमांक 3**

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्रदत्त ₹ 2.00 करोड़ के सहायता अनुदान को राज्य वित्त लेखे में प्रोफार्मा आधार पर अंशापूजी के रूप में समायोजन किये जाने हेतु ₹ 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राज्य पुनर्गठन के पूर्व के मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा हुड़को से लिए गए ऋण के छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभाजित दायित्वों के भुगतान हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को प्रदत्त ऋण ₹ 10.57 करोड़ को राज्य वित्त लेखे में प्रोफार्मा आधार पर अनुदान के रूप में समायोजन किये जाने हेतु ₹ 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।